न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 01/2024 अपील (GCMS 2024/43)
पंजीयन दिनांक– 24/07/2024
निर्णय दिनांक– 09/07/2025

प्रभुलाल पिता रामलाल कुम्हार, निवासी ट्रांसपोर्ट नगर, तहसील व जिला भीलवाड़ा

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़
2. राजेन्द्र सिंह पिता सोहनसिंह सिसोदिया, निवासी केसर थाना केलवाड़ा, जिला राजसमन्द हाल मुकाम आजोलिया का खेड़ा, थाना गंगरार, जिला चित्तौडगढ़
3. मांगीबाई सालवी पत्नि जगन्नाथ, निवासी आजोलिया का खेड़ा, थाना गंगरार, जिला चित्तौडगढ़
4. मनोज सालवी पिता जगन्नाथ, निवासी आजोलिया का खेड़ा, थाना गंगरार, जिला चित्तौडगढ़

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–
1. श्री चित्रांक वैष्णव — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा 7 (3) राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ दिनांक 12.06.2024

निर्णय

दिनांकः 09/07/2025

- यह अपील अपीलांट द्वारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 7 (3) के अन्तर्गत जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ के आदेश दिनांक 12.06.2024 से असंतुष्ट होकर पेश की गयी है।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट का वाहन आर.जे.06जी.ए.6416 को थाना चंदेरिया, जिला चित्तौडगढ़

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि
अति. संभागीय आयुक्त
उदयपुर

द्वारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत जब्त कर प्रकरण जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ के यहां प्रस्तुत किया। अपीलांट ने भी वाहन को सिपुर्द करने बाबत जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़ द्वारा समान प्रकृति के प्रकरण होने से दोनों को मिलाकर एक आदेश दिनांक 12.06.2024 को पारित किया। दिनांक 12.06.2024 को 2,50,000/– रू. जुर्माना आरोपित करते हुए 10 लाख रू. के जमानत–मुचलका देने की शर्त पर वाहन सिपुर्द करने का आदेश दिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

- अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 स्वयं उपस्थित। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

- अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि जब्त शुदा वाहन का अपीलांट स्वामी है जिसने रेस्पोडेंट सख्या 2 को उसके निजी कार्य में आवश्यकता होने से अपना वाहन दिया था। रेस्पोडेंट द्वारा वाहन को अपराधिक कृत्य में लिये जाने की अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। गौवंश के प्रकरण में अपीलांट को मुलजिम भी नहीं दर्शाया गया है तथा किये गये अपराध से अपीलांट का कोई संबंध नहीं है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी जुर्माना राशि अधिरोपित कर दी गयी है जो न्यायोचित नहीं है। बहस करते हुए यह भी बताया गया कि वाहन के थाने में होने से उसके कलपुर्जे खराब होने की संभावना है तथा लम्बे समय से वाहन जब्त होने के कारण वाहन पर लिये गये ऋण की किश्त भी बकाया हो गयी है। अपीलांट की माली हालत ऐसी नहीं है कि वह जुर्माने की राशि अदा कर सके जिससे जुर्माने की शर्तें निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है। अपीलांट को मुलजिम नहीं बनाने का मतलब यह नहीं है कि उसका वाहन उस अपराधिक कृत्य में काम में नहीं लिया गया। अंत में अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

- *दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। यह तो निर्विवाद है अपीलांट के वाहन का उपयोग अपराधिक कृत्य में किया है। इस संबंध में अपीलांट ने स्वयं अपना वाहन रेस्पोडेंट संख्या 2 को देना*

प्रमाणित प्रतिलिपि
अति. संभागीय आयुक्त
उदयपुर

स्वीकार किया है। अपीलांट ने अपनी माली हालत सही नहीं होने एवं वाहन पर लिए गये ऋण के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके वाहन पर ऋण लिया गया है और उसकी किश्ते जमा हो रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना राशि को निरस्त करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है, जिससे हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.06.2024 को यथावत रखा जाता है।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को सुनाया गया।
मिसल शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि
अति. संभागीय आयुक्त
उदयपुर